"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2003—पौष 25, शक 1924

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-20-2/2002/(छः)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002" जारी करता है.

उक्त नियम 1 दिसम्बर, 2002 से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002

भण्डार क्रय नियम 2002 का उद्देश्य

(अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके.

(ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.

(स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले.

(द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले.

भण्डार क्रय नियम

नियम-1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 कहलायेंगे.

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे.

नियम-2 भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री से है.

नियम-3 ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा. अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे.

नियम-4 शासकीय क्रय सामान्यत: निविदा के माध्यम से किया जायेगा. निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

4.2 निविदा की शर्तों का निर्धारण किया जायेगा.

4.3 **निविदा बुलाने की प्रक्रियाएं :—**

4.3.1 **एकल निविदा पद्धति—**ऐसी एकल वस्तु कि जो सांपत्तिक प्रकृति (Proprietory Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 5000 से अधिक की न हो.

4.3.2 **सीमित निविदा पद्धति—**साधारणत: ऐसे सभी आदेशों के मामलें में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 5001 से रु. 50,000 तक हो. इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है. इसके लिये यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम **तीन निर्माताओं** अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा.

4.3.3 **खुली निविदा पद्धति**—इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये. निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :—

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य

रु. 50,001/- से रु. 2.00 लाख तक हो.	स्थानीय स्तर के बहुप्रसारित एक समाचार पत्र में.
रु. 2.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो.	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में.
रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो.	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में.
रु. 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में.

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इंटरनेट पर की जा सकेगी.

4.4 **निविदा विज्ञप्ति** :—निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित कीं जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे. क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती हैं.

4.4.1 **निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण :—**

निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए. इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये. मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उल्लेख विज्ञापन में होना आवश्यक है. जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती हैं. किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिये लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये.

4.4.2 **निविदा-सूचना का प्रारुप :—**

इस हेतु निर्धारित प्रारुप परिशिष्ट-2 में दिया गया है.

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा.

4.5 **निविदा हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी :—**

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रु. 50,000 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक के लिये)	30 दिन
ग्लोबल निविदा	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी.

4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति :—

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए. डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी. एंड टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी अथवा निर्धारित टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी.

4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 03.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जायेगा.

4.6.3 निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय के एक घंटे पश्चात् अर्थात् उसी दिन 4.00 बजे अपरान्ह रखा जाएगा.

4.6.4 निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा. एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा. सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा.

4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी. निविदा वापस करते समय निविदा के बन्द लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा.

4.7 **सुरक्षा निधि :**—केवल वास्तविक प्रदायकर्त्ता फर्में ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये. यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये. इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी.

4.8 **सुरक्षा निधि के प्रकार :**—सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा. निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें—

''8443-सिविल जमा राशियां 103-प्रतिभूति जमा''

निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जामा करने के स्थान पर **भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के** डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है.

4.9 **क्रय की शर्तें:**—क्रय की शर्तें स्पष्ट होना चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया न जाकर विवाद की स्थिति निर्मित होने से बचा जा सके. क्रय केवल वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मों से ही किया जाए ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने. शर्तों में एक शर्त यह भी जोड़ी जावे कि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र, जहां पर वाणिज्यिक कर पंजीयन आवश्यक हो, की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे. इसके अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र, जहां आवश्यक हो लिया जावे. यह शर्त भी जोड़ी जावे कि प्रदायकर्त्ता का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह विभिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा. दरों में करों का स्पष्ट उल्लेख हो. माल प्रदाय का स्थान भी स्पष्ट दर्शित हो. इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी, मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में जो भी शर्त लगाना उचित समझे लगा सकता है.

4.10 **नमूना लिया जाना:**—उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे. यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्त्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है. यदि यह भी संभव नहीं हो तो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माणस्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा.

4.11 **निविदाओं को खोलना :**—उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई हैं तो, प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावे. निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्त्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं. जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावें.

समिति के सभी सदस्य प्राप्त निविदाओं पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ तुलनात्मक प्रपत्र बनाकर उस पर भी सभी के हस्ताक्षर लिये जावें. बाद में क्रय की अनुशंसा हेतु यही सब अभिलेख क्रय समिति के समक्ष रखा जाए.

4.12 **क्रय समिति का गठन :**—प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रु. 50,000/- या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जावे. क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यत: सम्मिलित हो. इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों. क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी. सामान्यत: क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करे. यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो, उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे.

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों के वित्तीय स्थिति, तकनीक, कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये. जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए. यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुन: निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना सम्भावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके.

4.13 **प्रदाय आदेश जारी करना :**—क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिए कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करे. यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है. यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है. उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है. जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि, उसके पास कार्य का पर्याप्त ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है. वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है. वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेंगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्त्ता द्वारा किया जायेगा.

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्त्ता फर्म से करारनामा किया जाए, **जिससे वह एक नियत समयावधि के अन्दर एवं नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो.** करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ा जाए कि नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्त्ता को अपने व्यय पर, उसे वापस ले जाना होगा. करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा **2% प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ** समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी. शर्तें सभी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें. यह करारनामा **स्टाम्प पेपर पर** हो और करार विधिवत् निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे.

4.14 पुनरावृत्ति आदेश (repeat order) को मूल आदेश, के विरुद्ध लिया जा सकता है, किन्तु :—

(1) किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के एक वर्ष के बाद नहीं दिया जायेगा.

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा.

(3) पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25% से अधिक का नहीं होगा.

नियम-5 महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें केवल उन्हीं फर्मों से प्राप्त की जायेंगी, जिनका नाम डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय-समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो.

5.1 ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई हों जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो. यदि निविदा प्रथम दृष्टया संतोषप्रद है तो, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, अपितु इस संबंध में डी.जी.एस. एंड डी. से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएंगी.

5.2 क्रयकर्त्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुयें निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगे.

नियम-6 **विदेशों से क्रय** :— ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा. यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा. यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से "ग्लेबल टेण्डर" बुलाकर क्रय किया जा सकेगा.

नियम-7 जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी. एस. आई. डी. सी.) परिशिष्ट-1 के अनुसार वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा. विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा. दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी.

7.1 सी. एस. आई. डी. सी. के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्त्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रदायकर्त्ता इकाईयों का पंजीयन किया जायेगा. अंतरिम व्यवस्था के रूप में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने तक डी. जी. एस. एंड डी. एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जायेगा.

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम-4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा. इस हेतु पंजीकृत इकाईयां को मान्य किया जावेगा तथा तदनुसार सूची प्रकाशित की जायेगी.

7.3 सामान्यत: सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी.

7.4 सी. एस. आई. डी. सी. द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण करेगा. जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिये विशेषज्ञों की सहायता लेगा.

7.5 सी. एस. आई. डी. सी. परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा.

नियम-8 छत्तीसगढ़ प्रदेश के हाथकरघा संघ के अंतर्गत हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियां या खादी बोर्ड से पंजीकृत इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का क्रय इन संस्थाओं से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की जावेगी. ऐसी सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय अधिकारियों द्वारा पृथक् से निविदा नहीं बुलाई जावेगी. समस्त शासकीय विभाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्री से ही करेंगे. यदि किसी कारणवश कोई विभाग इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उसे ग्रामोद्योग विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा.

नियम-9 इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है. ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा.

नियम-10 प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा.

नियम-11 सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा. प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्त्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्त्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे. विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा. भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा.

नियम-12 निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना :— वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें. अत: रुपये एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी.

नियम-13 सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले.

नियम-14 अन्य बातें समान रहने पर, आई.एस.आई. तथा आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जायेगी.

नियय-15 भण्डार क्रय से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा किसी अन्य नियम के अभाव में डी. जी. एस. एंड डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा.

नियम-16 विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा.

परिशिष्ट-1
(नियम 3 एवं 7)

1. पेन्ट, वारनीश और डिस्टेम्पर

2. टारफेल्ट, बिटूमेन प्राइमर, सीलिंग कम्पाउंड, एक्सपानसन ज्वाइंट, फिलर ग्रेड-1 तथा बिटूमेन

3. एनामेल एंड पिगमेंट

4. टिम्बर :—
   (अ) सभी प्रकार के लकड़ी फर्नीचर
   (ब) दरवाजे, खिड़की व अन्य भवन सामग्री
   (स) अन्य लकड़ी की वस्तुएं.

5. स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम के बर्तन

6. कृषि उपकरण :—
   (अ) बेलचा
   (ब) कुदाली, गैंती
   (स) फावड़ा
   (ड) घमेला
   (इ) सब्बल.

7. स्टील के पाईप

8. स्पन पाइप्स

9. एम. एस. पाइप्स व फिटिंग्स

10. कास्टिंग, हाऊसिंग एंड स्लॉटेड पाइप्स

11. जी. आई. वायर्स

12. ट्यूबलर स्ट्रक्चरल एंड पोल्स

13. स्टील रि-रोलिंग मिल के उत्पाद :—
    (क) राऊंड बार
    (ख) एंगल
    (ग) चैनल
    (घ) फ्लैट
    (ङ) टी
    (च) स्क्वैयर बार
    (छ) जाइस्ट.

14. कास्टिंग :—मेनहोल कवर, गेट, सभी प्रकार के फेरस व नान-फेरस कास्टिंग, सभी प्रकार की स्टील कास्टिंग

15. स्लॉटेड एंगल व एसेसरीज

16. वायर रोप

17. सैनीटरी फिटिंग्स

18. जिप्सी हट/पंप हाऊस/पंप हाऊस कम आपरेटर रूम

19. जनरल इंजीनियरिंग :—

(अ) आयरन कास्टिंग :— सी. आई. पाइप एंड स्पेशल्स, शीवेज फिटिंग व अन्य ड्रेनेज आयटम्स, सरफेस बाक्सेस, सरफेस प्लेट, मेन होल कवर, वेन्टशॉफ्ट्स, डिस्टेंस मार्कर, सी. आई. स्लूइस गेट, सी आई डी जाईंट्स.
(ब) बिल्डिंग मटेरियल :—स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रसेस, स्टील डोर, बिन्डों, ग्रिल, स्टोरेज टैंक, रोलिंग शटर, सेन्टरिंग प्लेट, स्टील बेस फ्रेम, प्रेस्ड डोर व विन्डो
(स) बारबेड वायर, एम. एस. वायर, वायर नेटिंग, लिंक चेन्स.
(द) शीट मैटल गुड्स :— स्टील ट्रंक, बाक्सेस, ड्रम, कंटेनर, बकेट,
आफिस स्टेशनरी आरटीकल्स :—कान्फीडेन्सीअल बाक्सेस, रैक्स आदि
(इ) सभी प्रकार के स्टील फर्नीचर्स (आफिस व हास्पीटल के लिये)
(फ) रोड साइन बोर्ड

20. जीप ट्राली, ट्रेक्टर ट्राली, वाटर टैंकर, अनेक साइजों व क्षमतानुसार ट्रालियां

21. केरोसीन स्टोरेज टैंक

22. एम. एस. स्लूइस गेट हैड रेगुलेटर

23. एम. एस. स्लूइस गेट/लीफ गेट व एसेसरीज

24. एम. एस. सीमलेस पाइप

25. केमीकल प्रोडक्ट्स :—
(अ) एसिड-सल्फ्यूरिक, नाइट्रीक, हाइड्रोक्लोरिक
(ब) लाइम
(स) डिस्टील्ड वाटर
(द) शेलॉक
(इ) एलम
(फ) ब्लीचिंग पावडर.

26. लेबोरेटरी फाइन केमीकल्स व एनालीटिकल रीएजेन्ट्स

27. इलेक्ट्रीक केबल व वायर, एल्यूमिनियम कंडक्टर.

28. इलेक्ट्रीकल आयटम्स :—

(क) सीलिंग, टेबल व केबीन फैन्स
(ख) हीटर्स
(ग) विद्युत उपकरण
(घ) आयरन क्लैड स्वीचेस
(ङ) कॉपर टेप
(च) एयर कंडीशनर
(छ) इंक्यूवेटर्स
(ज) आटो क्लेव
(झ) एमीटर्स

29. इलेक्ट्रीक वोल्टेज एक्वीपमेन्ट्स :—

(क) वोल्टेज बूस्टर
(ख) ट्रांसफार्मर्स
(ग) आटोमेटिक वोल्टेज स्टेवीलाइजर
(घ) लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर
(ङ) मोटर स्टार्टर
(च) आटो ट्रांसफारर्मर
(छ) हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टिंग ट्रांसफामर्स
(ज) फेस शिफ्टिंग व फेस कन्वर्टर ट्रांसफार्मर्स
(झ) ओवन
(ञ) फरनेस
(ट) वाटर डिस्टीलेशन प्लांट
(ठ) केपेसीटर
(ड) इलेक्ट्रीक इंस्ट्रूमेंट व मीटर्स

30. रूम कूलर डेजर्ट टाइप

31. वाटर कूलर

32. फ्लोरोसेंट लाइटनिंग फिक्सचर्स

33. टी सी बटन बीट्स व हैमर्स

34. ड्रिल रॉड

35. बैटरी

36. मेकेनिकल इंजीनियरिंग :—

(क) अर्थ मूवींग मशीनरी व स्पेयर्स

(ख) गन मेटल वाल्व
(ग) न्यूमेटिक हैमर्स व स्पेयर्स
(घ) वाटर वेल ड्रिलिंग रींग्स व एसेसरीज
(ङ) इंटरनल कम्बशन इंजिन
(च) अन्य इंडस्ट्रीयल इंजिन

37. रोड इक्वीपमेंट :—वाइब्रेटर सभी प्रकार के, कांक्रीट मिक्सर, एसफाल्ट मिक्सर सभी प्रकार के, रैमर्स सभी प्रकार के, एसफाल्ट ड्रम लिफ्टर कम हीटर, एसफाल्ट मिक्सिंग ट्रे, कोडल टाइप फोर्क, टारकेन, व्हील वारो, शॉवल, ग्रैडेड मेटल स्क्रीन व अन्य सभी आयटम जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में उपयोग किये जाते हैं.

38. मैथमेटिकल व सर्वे इक्वीपमेंट

39. लेबोरेटरी इक्वीपमेंट

40. फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट :—

(अ) होज
(ब) पम्प
(स) फायर एक्सटिंग्यूशर व रिफील्स.

41. वेल्डिंग ट्रांसफारमर व जनरेटर्स

42. जिम्नास्टिक आयटम्स

43. प्लास्टिक की वस्तुएं :— मोल्डेड

(अ) फर्नीचर
(ब) केन
(स) टम्बलर
(द) जार
(इ) बकेट्स

44. एच. डी. पी. ई. एलम डोजींग युनिट

45. एच. डी. पी. ई. पाइप व फिटिंग्स

46. एच. डी. पी. ई. स्टोरेज टैंक

47. पॉलीयुरेथीन फ्लेक्सीबल, फोम मैट्रेस, पिलो

48. पी. वी. सी. पाइप व फिटिंग्स

49. पॉलीप्रोपलीन बैग

50. पॉलीथीन बैग

51. सीमेंट

52. सीमेंट कास्टिंग पाइप, फिटिंग व टाइल्स

53. एस. डब्ल्यू. पाइप

54. एस्बेस्टस सीमेंट पाइप व फिटिंग्स

55. स्टोन टाइल्स

56. सभी प्रकार के आर. सी. सी. पाइप व चैनल सेक्शन

57. स्टील सिलेंडर रि--इन्फोंसमेंट आर. सी. सी. पाइप

58. आर. सी. सी. पोल

59. बाउंड्री कि. मी. पोल

60. फोटोकापीयर

61. इंटरकाम

62. कम्प्यूटर तथा स्टेशनरी

63. फैक्स मशीन

64. टाइप राइटर (मैनुअल व इलेक्ट्रानिक)

65. मास्किटो नेट

66. तारपोलीन/एच. डी. पी. ई. तारपोलीन/एल डी पी ई व एच डी पी ई शीट व फिल्म, कैप कवर

67. टाटपट्टी

68. एनीमल/हैंड ड्रीवन ट्राली व कार्ट्स

69. इलेक्ट्रीक मोटर्स

70. डीजल इंजिन पंप

71. मोनो ब्लाक पंप

72. इन्सेक्टीसाइड्स, पेस्टीसाइड्स व फंगीसाइड्स फारमुलेशन

73. रबर टायर व ट्यूब

74. टरमाइंड प्रुफ पावडर (दीमकमार पाऊडर)

75. बूट पालिश

76. फ्लोरोसेंट ट्यूब, ट्यूब लाईट

77. बल्ब

78. गमबूट/जूते तथा मोजे

79. कट आऊट

80. आर. सी. सी. ह्यूम पाईप

परिशिष्ट-2
(नियम 4.4.2)

(निविदा सूचना का प्रारूप)

निविदा विज्ञप्ति क्र. . . . . दिनांक . . . .

. . . . .की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से . . . .(सामग्री का नाम) प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रु. . . . . .नगद भुगतान कर दिनांक . . . . .के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं.

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि . . . . समय . . . .

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि . . . . .समय . . . .

निविदा खोलने की तिथि . . . . .समय . . . . स्थान . . . .

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.